



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 546 राँची, बुधवार,

17 दिसम्बर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

11 दिसम्बर, 2025

संख्या-2/रा. स्था. शक्ति प्रदत्त (खंड)-03/2017-3337 (02)/रा.,--उपायुक्त, जामताड़ा का पत्रांक-599(i)/गो0, दिनांक-26.11.2025 द्वारा प्रतिवेदित जिला भू-अर्जन कार्यालय, जामताड़ा में कार्य की महत्ता एवं अधिकता के आलोक में श्री पंकज कुमार रवि, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जामताड़ा को उनके कार्यों के अलावे MoRT&H Project के भू-अर्जन का कार्य सम्पादन करने के लिए अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, जामताड़ा के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act.-2013) की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामेश्वर लेयांगी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
